संख्या : 6483 दिनांक 02.11.2022

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्,
शिक्षा भवन, सैदपुर, राजेन्द्र नगर, पटना–800004

शुद्धिपत्र

PR-009505 (Ni.Ni.) 2022-23 के द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022–23 में पुस्तकालय अनुदान अन्तर्गत स्वीकृत राशि से बिहार राज्य के सभी सरकारी विद्यालय के पुस्तकालयों के लिए क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा (हिन्दी/मैथिली/भोजपुरी/अंगिका/बज्जिका/मगही/जनजातीय भाषा–सूर्यापुरी/उरांव आदि) की पुस्तकें क्रय करने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) के द्वारा देश/राज्य के प्रतिष्ठित निजी प्रकाशक से दिनांक 12 नवम्बर, 2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।

उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) में प्रकाशक के लिए आवश्यक नियम एवं शर्त की कंडिका–1 के पारा–4 के अनुसार प्रकाशक को आवेदन पत्र के साथ ₹100000/– (एक लाख) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्रॉफ्ट, जो State Project Director-BEPC के नाम तथा Payable at Patna होगा, सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त राशि संपूर्ण क्रय प्रक्रिया उपरांत वापस की जायेगी, जिसपर कोई व्याज देय नहीं होगा।

किन्तु MSME अन्तर्गत पंजीकृत फर्म/प्रकाशक, सुरक्षा निधि की राशि ₹100000/– (एक लाख) जमा करने से मुक्त रहेंगे। MSME अन्तर्गत पंजीकृत फर्म/प्रकाशक को इससे संबंधित वैद्य प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यदि सुरक्षा निधि में ली गई छूट के बदले वैद्य प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है तो उक्त प्रकाशक/फर्म के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) की कंडिका–1 के पारा–4 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष नियम एवं शर्तों यथावत् रहेंगे।

राज्य परियोजना निदेशक
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्